भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 09/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2022

सा.का.नि.... (अ), - केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के शीर्षक 2710 के अंतर्गत आता है को धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट देती है ।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई भी बात निर्यात के लिए क्लीयर किए गए मालो पर लागू नहीं होगी ।

3. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फाइल संख्या 354/15/2022-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानरे)

अवर सचिव, भारत सरकार